कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Janshikayat No.-7870031117

अति–अल्पकालिन पुर्न खुली निलामी सूचना

NIQ No.–17/E&M/MMC/2021-22 दिनांक ....

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के पक्की सराय, चंदवारा स्थित पुराने सराय के भवन को जर्जर स्थिति होने के कारण उसे ध्वस्त किया गया है, जिसके मलवा में पुराना ईट, राबिश आदि **जहॉ है जैसे है** के आधार पर दर आकलित करते हुए मुहरबंद निलामी हेतु दिनांक 01.10.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक निलामी आमंत्रित की जाती है। निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी से दिनांक 01.10.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक कार्यपालक अभियंता, नगर निगम मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में मुहरबंद लिफाफा में निलामी दर जमा ली जायेगी। निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त मुहरबंद निलामी दर पर ही विचार किया जायेगा। नियम एवं शर्त की जानकारी मुजफ्फरपुर नगर निगम के वेवसाईट https://mymmc.org एवं NIC, MUZAFFARPUR के वेबसाईट https://muzaffarpur.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

निलामी का विवरण

क्र0 सं0	निलामी वस्तु का विवरण	अग्रधन (डी.डी. के रूप में)	निलामी में भाग लेने हेतु शुल्क (अप्रत्यर्पणीय) (डी.डी. के रूप में)	निलामी प्रतिभागी द्वारा उद्धृत दर (सभी कर सहित)
1	पक्की सराय, चंदवारा स्थित पुराने सराय के ध्वस्त भवन का सभी प्रकार का मलवा यथा–ईट, राबिश आदि।	5000.00	1000.00	

निलामी की शर्त्त निम्न प्रकार है:–

1. पक्की सराय, चंदवारा स्थित पुराने सराय के मलवा में पुराना ईट, राबिश आदि **जहॉ है जैसे है** की निलामी मुहरबंद डाक द्वारा उच्चतम निलामी दर वक्ता के साथ की जाएगी।
2. निलामी दर अंकित करने के पूर्व प्रतिभागी स्वयं स्थल निरीक्षण कर वर्णित स्थल के मलवा की जानकारी लेकर ही मुहरबंद निलामी में भाग लेगे। इस संबंध में निलामी के उपरान्त् डाककर्ता का किसी भी प्रकार का दावा/विवाद मान्य नहीं होगा।
3. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेन्सी को छोड़कर शेष व्यक्ति/एजेन्सी को केवल जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया के 7 दिनों के बाद वापस कर दिया जाएगा।
4. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेन्सी को कार्यादेश निर्गत के 24 घंटे के अन्दर शेष राशि निगम कोष में जमा करनी होगा। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

5. उच्चतम निलामी मूल्य लगाकर निलामी की सामग्री नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेन्सी को निगम कोष में निलामी राशि जमा करने के उपरान्त **5 (दिन) दिनों के अन्दर निलामी किये गये सामग्रियों को उक्त स्थान से हटा लेना होगा।**
7. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निलामी को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्यालिय कार्य दिवस में कार्यापालक अभियंता, नगर निगम मुजफ्फरपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।
9. सभी मलावा हटाते समय प्रदुषण के मद्देनजर मलवे को ढंक कर ही उठाव करना होगा।
10. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/एजेन्सी को मुहर बंद निलामी के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र की छाया प्रति स्व–अभिप्रमाणित संलग्न करना आवश्यक होगा।

नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1876/स्था० मु०न०नि०, मुज० दिनांक 27/09/2021

प्रतिलिपि :– डी.आई.ओ., एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं एन.आई.सी. के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, मुजफ्फरपुर नगर निगम को सूचनार्थ एवं निगम के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय महापौर/माननीय उप महापौर, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक रंजन मैत्रेय)
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।